



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032024-252966  
CG-DL-E-14032024-252966

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 174]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 13, 2024/फाल्गुन 23, 1945

No. 174]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 13, 2024/PHALGUNA 23, 1945

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2024

सा.का.नि. 187(अ).—राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग (सदस्यों, स्वायत्तशासी बोर्डों के सचिव और सदस्यों की नियुक्ति और नाम निर्देशन का तौर तरीका, उनका वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें और निबंधन, आस्तियों, व्यावसायिकों और वाणिज्यिक संलिप्तता) नियम 2023 राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग अधिनियम, 2023 (2023 का 26) की धारा 51 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 17 नवंबर, 2023 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 847 (अ) तारीख 17 नवंबर, 2023 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, से राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि के समाप्ति से पूर्व आपत्तियां एवं सुझाव मांगे गए थे।

और उक्त राजपत्र की प्रतियां तारीख 17 नवंबर, 2023 को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई गई थी;

और उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अब अतः राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग अधिनियम, 2023 (2023 का 26) की धारा 51 की उपधारा (2) के खंड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) और (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित नियम तैयार करती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग नियम, 2024 है।  
(2) ये अधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. **परिभाषाएं-** (1) इन नियमों में जब तक अन्यथा संदर्भ अपेक्षित न हो-  
(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग अधिनियम, 2023 (2023 का 26) अभिप्रेत है;  
(ख) "बोर्ड" से अधिनियम की धारा 11 के अधीन गठित स्वायत्त बोर्ड अभिप्रेत है;  
(ग) "आयोग" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग अभिप्रेत है;  
(घ) "सचिव" से अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त आयोग का सचिव अभिप्रेत है;  
(ङ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;  
(च) "राज्य आयोग" से अधिनियम की धारा 23 के अधीन गठित राज्य परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग अभिप्रेत है;  
(छ) "राज्य" में संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन शामिल होगा;  
(ज) "परिक्षेत्र" से नियम 4 में विनिर्दिष्ट 6 में से कोई एक परिक्षेत्र अभिप्रेत हो;  
(झ) "आयोग का पूर्ण कालिक सदस्य" से धारा 4 के खंड (झ), (ज), (ट) और (ठ) के अधीन नायनिर्दिष्ट या नियुक्त सदस्य अभिप्रेत है।  
(2). यहां पर प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्ति, जो परिभाषित नहीं हैं एवं अधिनियम में परिभाषित हैं उनका अर्थ अधिनियम में उनके लिए निर्धारित अर्थ से होगा।
3. **परिचर्या और प्रसूति विद्या लीडर के लिए अर्हताएं एवं अनुभव** अधिनियम की धारा 2 के खंड (थ) के अधीन परिभाषित परिचर्या और प्रसूति विद्या लीडर के लिए निम्नलिखित अर्हताएं एवं अनुभव होंगे अर्थात्:-  
(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से परिचर्या और प्रसूति विद्या शिक्षा के किसी भी विषय में स्नातक डिग्री;  
(ख) राष्ट्रीय रजिस्टर अथवा राज्य राज्य रजिस्टर में रजिस्ट्री होगा; और  
(ग) कम से कम 15 वर्षों का अनुभव से तथा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा विश्वविद्यालय या स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्रीय से परिचर्या और प्रसूति विद्या के क्षेत्र में 4 वर्षों के लिए प्रशासनिक पद पर हो।
- (4) **राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का क्षेत्रीय वितरण-** अधिनियम की धारा 4 के खंड (ज) और (झ) के अधीन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का क्षेत्रीय वितरण निम्नलिखित होगा अर्थात्:-  
(क) उत्तरी क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित चार राज्य और चार संघ राज्य क्षेत्र अर्थात्: हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख शामिल हैं;  
(ख) केंद्रीय क्षेत्र, जिसमें निम्नलिखित चार राज्य अर्थात्: छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल हैं;  
(ग) पूर्वी क्षेत्र, जिसमें निम्नलिखित चार राज्य नामतः बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल शामिल हैं;  
(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र, जिसमें निम्नलिखित आठ राज्य शामिल हैं नामतः असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम;  
(ङ) पश्चिम क्षेत्र, जिसमें निम्नलिखित तीन राज्य और एक संघ राज्य क्षेत्र अर्थात्: गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं;  
(च) दक्षिणी क्षेत्र, जिसमें निम्नलिखित पाँच राज्य और तीन संघ राज्य क्षेत्र अर्थात्: आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, पुद्दुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्ष्यद्वीप शामिल हैं;
5. **अधिनियम की धारा 4 के खंड (छ) के अधीन सदस्य के नामनिर्देशन की रीति -** (1) केंद्रीय सरकार प्रतिष्ठित केंद्रीय सरकारी अस्पतालों या परिचर्या एवं प्रसूति विद्या संस्थानों से दो वर्ष के कार्यकाल के लिए तीन सदस्यों का

नामनिर्देशन करेगी जो किसी भी अस्पताल के मुख्य परिचर्या अधिकारी अथवा परिचर्या अधीक्षक या परिचर्या कॉलेज के डीन अथवा प्रधानाचार्य, जैसी भी स्थिति हो, की रैंक से कम के नहीं होंगे।

(2) इस नियम के अधीन रिक्ति होने की स्थिति में, जिसमें किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या हटने, जो भी मामला हो, के कारण रिक्ति की स्थिति के मामले में केंद्रीय सरकार यथाशीघ्र और ऐसी रिक्ति होने की तारीख से तीन माह के भीतर सदस्य के रूप में अन्य व्यक्ति का नामनिर्देशन करेगी और इस प्रकार नामनिर्देशित व्यक्ति दो वर्ष के पूर्ण कार्यकाल के लिए सदस्य बना रहेगा।

**6. अधिनियम की धारा 4 के खंड (ज) के अधीन सदस्यों के नामनिर्देशन की रीति-** केंद्रीय सरकार इसके द्वारा निश्चित की गई किसी भी तारीख को ड्रा के जरिए प्रत्येक दो वर्षों के बाद रोटेशन आधार पर राज्य आयोगों के छह अध्यक्षों को, छह क्षेत्रों में से एक-एक, नामनिर्देशित करेगी।

(2) छह क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले छह ड्रा बॉक्स होंगे जिनमें से प्रत्येक छह ड्रा बॉक्सों में से एक स्लिप उठाई जाएगी।

(3) दो वर्षों के अंतराल के बाद ड्रा उन राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सीमित हो जाएगा जो तुरंत पूर्व कार्यकाल में सदस्यों के रूप में प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

(4) यह ड्रा एक समान आकार, रंग और डिजाइन वाली पेपर स्लिप्स के साथ आयोजित किया जाएगा जिन पर प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र का नाम होगा जिन्हें इस तरीके से मोड़ा जाएगा कि वे गोपनीयता बनाए रखें।

(5) यह ड्रा केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा।

(6) राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर रिक्ति के मामले में राज्य सरकार इस नियम के अधीन राज्य आयोग के किसी अन्य सदस्य को सदस्य के रूप में मनोनीत करेगी जब तक की एक व्यक्ति को राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर मनोनीत नहीं किया जाता है और राज्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत ऐसा व्यक्ति केवल दो वर्ष के शेष कार्यकाल के लिए आयोग का सदस्य बना रहेगा।

(7) इस नियम के अधीन सदस्यों के लिए ड्रा पहले किया जाएगा और उसके बाद नियम 7 के अधीन ड्रा का आयोजन किया जाएगा।

**7. अधिनियम की धारा 4 के खंड (झ) के अधीन सदस्यों के नामनिर्देशन की रीति-**(1) अधिनियम की धारा 4 के खंड (झ) के अधीन प्रत्येक छह क्षेत्रों में से परिचर्या और प्रसूति विद्या व्यवसाय के उत्कृष्ट योग्यता, सिद्ध प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा वाले ऐसे उत्कृष्ट परिचर्या सदस्यों में से, जिनके पास किसी भी विश्वविद्यालय से परिचर्या और प्रसूति विद्या के किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री हो और जिनके पास परिचर्या और प्रसूति विद्या के क्षेत्र में कम से कम पंद्रह का अनुभव हो जिनमें से कम से कम सात वर्ष का परिचर्या और प्रसूति विद्या के लीडर के रूप में अनुभव हो, में से आयोग के छह सदस्य के नामनिर्देशित किये जाएंगे।

(2) केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की गई तारीख पर, प्रत्येक दो वर्षों के पश्चात रोटेशन के आधार पर, लॉटरी के ड्रा द्वारा प्रत्येक छह क्षेत्रों में से एक-एक नामनिर्देशन किया जाएगा।

(3) छह जोनों का प्रतिनिधित्व करने वाले छह ड्रा बॉक्स होंगे जिनमें से प्रत्येक छह ड्रा बॉक्स में से एक पर्ची निकाली जाएगी।

(4) इस नियम के अधीन सदस्यों के नामनिर्देशन के लिए पहला ड्रा उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों तक सीमित रहेगा, जिनका प्रतिनिधित्व नियम 6 के अधीन नहीं है और प्रत्येक अगले दो वर्ष के अंतराल पर ड्रा उन राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों तक सीमित होगा जिनका तत्काल पूर्ववर्ती अवधि में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।

(5) ड्रा प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के अलग-अलग नाम वाले समान आकार, रंग और डिजाइन की पेपर पर्चियों के साथ आयोजित किया जाएगा, जिनको इस रीति से मोड़ा जाएगा जिससे कि गोपनीयता बनी रहे।

(6) ड्रा केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की उपस्थिति में निकाले जाएंगे।

(7) किसी सदस्य की रिक्ति होने की स्थिति में जिसमें मृत्यु, त्याग-पत्र, या निष्कासन के कारण होने वाली स्थिति शामिल हैं, राज्य सरकार उसके स्थान पर यथाशीघ्र और तीन माह के भीतर किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्देशित करेगी और इस प्रकार नामनिर्देशित व्यक्ति आयोग में दो वर्ष के शेष कार्यकाल के लिए नामनिर्देशित रहेगा।

(8) इस नियम के अधीन, नियुक्ति के लिए सदस्य की सिफारिश करने से पहले राज्य सरकार स्वयं को संतुष्ट करेगी कि ऐसे व्यक्ति का कोई वित्तीय या कोई अन्य हित ना हो जो आयोग के सदस्य के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो।

(9) केंद्रीय सरकार सदस्य का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व तीन माह के भीतर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए लिखेगी।

### 8. अधिनियम की धारा 4 के खंड (ज), (ट) और (ठ) के अधीन सदस्यों की नियुक्ति का तरीका-

(1) केंद्रीय सरकार खोज-सह-चयन समिति की सिफारिश पर निम्नलिखित को नियुक्त करेगी -

(क) अधिनियम की धारा 4 खंड (ज) के अधीन, परिचर्या और प्रसूति विद्या उत्कृष्ट सदस्यों में से चार सदस्य, जिनमें से कम से कम प्रसूति विद्या वृत्ति के उत्कृष्ट योग्यता, सिद्ध प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा वाले ऐसे व्यक्ति, जिनके पास जो किसी भी विश्वविद्यालय से परिचर्या और प्रसूति विद्या के किसी विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री हो और परिचर्या और प्रसूति विद्या के क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष से रखता हो, जिसमें से परिचर्या और प्रसूति विद्या लीडर के रूप में सात वर्ष का अनुभव हो,

(ख) इस अधिनियम की धारा 4 के खंड (ट) के अधीन एक सदस्य ऐसे धर्मार्थ संस्थानों से होगा जो कम से कम पंद्रह वर्षों से स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के कार्य में परिचालित है, जिसके पास निम्नलिखित योग्यताएं और अनुभव हो, अर्थात् :-

(i) किसी भी विश्वविद्यालय से परिचर्या और प्रसूति विद्या के किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री।

(ii) परिचर्या और प्रसूति विद्या के क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव हों जिसमें परिचर्या और प्रसूति विद्या लीडर के रूप में कम से कम चार वर्ष का अनुभव हो।

(ग) अधिनियम की धारा चार के खंड (1) के अधीन एक सदस्य, जो सक्षम, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, जिसके पास प्रबंधन, विधि, चिकित्सा आचार, स्वास्थ्य अनुसंधान, उपभोक्ता या रोगी अधिकारों की वकालत, विज्ञान और प्रोद्योगिकी और अर्थ शास्त्र सहित ऐसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान और पेशेवर अनुभव हो।

(2) उपनियम (1) के अधीन नियुक्त सदस्य चार वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहेंगे।

(3) इस नियम के अधीन किसी सदस्य की रिक्ति होने की स्थिति में मृत्यु, त्याग-पत्र, या निष्कासन के कारण होने वाली रिक्ति शामिल है, केंद्रीय सरकार उसके स्थान पर यथाशीघ्र और ऐसे रिक्ति होने के तीन माह के भीतर किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्देशित करेगी और इस प्रकार नामनिर्देशित व्यक्ति आयोग में चार वर्ष के शेष कार्यकाल के लिए नामनिर्देशित रहेगा।

**9. अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) और (ग) के अधीन खोज-सह-चयन समिति के सदस्यों का नामनिर्देशन की रीति-** केंद्रीय सरकार अधिनियम के धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन 4 विशेषज्ञों और खंड (ग) के अधीन एक विशेषज्ञ को दो वर्ष की अवधि के लिए खोज-सह-चयन समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त करेगी।

(2) इस नियम के अधीन रिक्ति होने की स्थिति में, जिसमें किसी सदस्य की मृत्यु, त्याग-पत्र या निष्कासन, के कारण होने वाली रिक्ति शामिल है, जैसा भी मामला हों केंद्रीय सरकार किसी अन्य व्यक्ति को यथाशीघ्र किन्तु ऐसी रिक्ति होने की तारीख से तीन माह के भीतर खोज-सह-चयन के लिए सदस्य के रूप में नामित करेगी और इस प्रकार नामनिर्देशित व्यक्ति केवल दो वर्ष की शेष अवधि के लिए खोज-सह-चयन समिति में सदस्य बना रहेगा।

**10. आयोग के अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को देय वेतन और भत्ते-** (1) अध्यक्ष को देय वेतन भारत सरकार अपर सचिव को देय वेतन के बराबर होगा।

(2) आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों को देय वेतन भारत सरकार के सयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को देय वेतन के बराबर होगा।

(3) जहां आयोग का अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य, सरकारी, अर्ध सरकारी एजेंसी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान से सेवानिवृत्त व्यक्ति हो, या पूर्णकालिक सदस्य द्वारा प्राप्त पेंशन या टर्मिनल लाभ के पेंशनरी मूल्य या दोनों के साथ देय वेतन ऐसे अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य के अंतिम वेतन से अधिक नहीं होगा,

(4) यदि आयोग का अध्यक्ष अथवा पूर्णकालिक सदस्य केंद्रीय सरकार, या राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में सेवारत है तो उसका वेतन और भत्ते उसके मूल संवर्ग अथवा विभाग में इस प्रकार अध्यक्ष अथवा पूर्णकालिक सदस्य के

लिए प्रयोज्य नियमों अथवा इस नियम के अनुरूप विनियमित होंगे, जो भी उच्चतर है और आयोग में उसकी नियुक्ति को प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा।

(5) आयोग के अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य केंद्रीय सरकार में समकक्ष स्तर के अधिकारियों को देय दरों पर अपने वेतन के अनुरूप महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ते के भी हकदार होंगे।

**11. आयोग के सचिव-** (1) केंद्रीय सरकार आयोग में एक सचिव नियुक्त करेगी जो उत्कृष्ट योग्यता, प्रमाणिक प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा वाला व्यक्ति होगा और उसके पास निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव होंगे, अर्थात्-

(i) किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से परिचर्या से संबंधित किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री, और

(ii) वर्तमान संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारित हों; या

(iii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 या समकक्ष में न्यूनतम तीन वर्ष की नियमित सेवा,

(iv) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 या उसके समकक्ष या उससे ऊपर न्यूनतम सात वर्ष की नियमित सेवा, और

(v) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी वैधानिक निकाय या मान्यता प्राप्त संगठन या संस्था में कम से कम सात वर्ष का प्रशासनिक अनुभव के साथ संबंधित सेवा या व्यवसाय में कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव हो;

(2) सचिव को देय वेतन भारत सरकार के संयुक्त सचिव के वेतन के बराबर होगा।

(3) सचिव, भारत सरकार के संयुक्त सचिव को देय दरों पर अपने वेतन के अनुरूप महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता का हकदार होगा।

(4) कोई व्यक्ति, जिसने आवेदन की तारीख को पचपन वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, वह सचिव पद के लिए पात्र नहीं होगा।

(5) सचिव चार वर्ष की अवधि के लिए या साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद पर बना रहेगा।

**12. बोर्ड के दूसरे अंशकालिक सदस्य की नियुक्ति का तरीका-** (1) केंद्रीय सरकार अधिनियम की धारा 4 के खंड (ज) के अधीन नाम निर्देशित उन सदस्यों में से ड्रा द्वारा धारा 12 की उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक बोर्ड के लिए दूसरे अंशकालिक सदस्य की नियुक्ति करेगी जिन्होंने बोर्ड के दूसरे अंशकालिक सदस्य के रूप में सेवा करने के लिए अपनी सहमति दी है और किसी भी अनिच्छुक सदस्य का नाम ड्रों में शामिल नहीं किया जाएगा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट छह सदस्यों के नाम वाले ड्रों बॉक्स में छह पर्चियों में से तीन पर्चियां निकाली जाएंगी।

(3) पहली पर्ची में आने वाला नाम परिचर्या और प्रसूति विद्या मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड का दूसरा अंशकालिक सदस्य होगा, दूसरी पर्ची में आने वाला नाम परिचर्या और प्रसूति विद्या आचार संहिता और रजिस्ट्री बोर्ड का दूसरा अंशकालिक सदस्य होगा और तीसरी पर्ची में आने देने वाला नाम परिचर्या और प्रसूति विद्या स्नातक और स्नातकोत्तर बोर्ड का दूसरा अंशकालिक सदस्य होगा।

(4) यह ड्रा केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की उपस्थिति में निकाला जाएगा।

(5) सदस्यों का कार्यकाल धारा 4 के खंड (ज) के अधीन आयोग की उनकी सदस्यता के साथ समाप्त हो जाएगा।

(6) किसी भी समय किसी सदस्य का पद रिक्त होने की स्थिति में, केंद्रीय सरकार इस नियम में दिए गए तौर-तरीके से किसी अन्य अंशकालिक सदस्य की नियुक्ति करेगी।

**13. बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को देय वेतन और भत्ते-** (1) बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को देय वेतन भारत सरकार के संयुक्त सचिव को स्वीकार्य वेतन के बराबर होगा।

परंतु जहां किसी बोर्ड का अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य सरकारी, अर्ध-सरकारी एजेंसी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान से सेवानिवृत्त व्यक्ति है, ऐसे अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य द्वारा प्राप्त पेंशन या टर्मिनल लाभ, पेंशनरी मूल्य या दोनों के साथ देय वेतन अंतिम आहरित वेतन से अधिक नहीं होगा।

(2) जहां अध्यक्ष अथवा पूर्णकालिक सदस्य केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की सेवा में है, उसका वेतन और भत्ता ऐसे अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य के मूल संवर्ग या विभाग में लागू नियमों या उप नियम (1) के अनुसार विनियमित किया जाएगा और आयोग में उसकी नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पर मानी जायेगी।

(3) बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य केंद्रीय सरकार में समकक्ष स्तर के अधिकारियों को देय दरों पर अपने वेतन के अनुरूप महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे।

14. **बैठक शुल्क-** आयोग के पदेन सदस्य और अंशकालिक सदस्य और प्रत्येक बोर्ड के अंशकालिक सदस्य आयोग अथवा बोर्ड, जैसी भी स्थिति है, की प्रत्येक दिन की बैठक के लिए पांच हजार रुपये के बैठक शुल्क के हकदार होंगे।

15. **अवकाश-** अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य, सचिव और बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य निम्नलिखित के हकदार होंगे-

(क) समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के अनुसार केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय अर्जित अवकाश, अर्धवेतन अवकाश और परिवर्तित अवकाश और

(ख) समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के अधीन केंद्रीय सरकार के अस्थायी कर्मचारियों को देय असाधारण अवकाश।

16. **अवकाश संस्वीकृत प्राधिकारी-** (1) आयोग के अध्यक्ष को अवकाश स्वीकृत करने के लिए केंद्रीय सरकार सक्षम प्राधिकारी होगी।

(1) आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित के अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा-

(क) आयोग के पूर्णकालिक सदस्य और सचिव; और

(ख) बोर्ड के अध्यक्ष।

(2) संबंधित बोर्ड के अध्यक्ष उस बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य को अवकाश स्वीकृत करने के लिए प्राधिकृत होंगे।

17. **अंशदायी भविष्य निधि-** आयोग के अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य, सचिव और बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य-

(क) अंशदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं) नियम, 1960 के अधीन अंशदान करने का कोई विकल्प नहीं होगा;

(ख) बोर्ड में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए वे अतिरिक्त पेंशन और उपदान के हकदार नहीं होंगे।

18. **अन्य सदस्यों को यात्रा भत्ता -** नियम 10 और नियम 13 में निर्दिष्ट सदस्यों के इतर आयोग का प्रत्येक अन्य सदस्य, जिसमें बोर्ड के अंशकालिक सदस्य भी शामिल हैं, भारत सरकार में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को देय दरों पर यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे।

19. **केंद्रीय सिविल सेवा नियमों का लागू होना-** आयोग के अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य, सचिव और बोर्ड के अध्यक्ष तथा पूर्णकालिक सदस्य अपने कार्यकाल के दौरान केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होंगे।

20. **आस्तियों व्यावसायिक और वाणिज्यिक नियोजन या सहभागिता की घोषणा -** आयोग के अध्यक्ष के पूर्णकालिक सदस्य, सचिव और बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य-

(क) इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र क में अपनी आस्तियों और देनदारियों की विवरणी दाखिल करेंगे।

(ख) ऐसे अध्यक्ष या सचिव या सदस्य के रूप में नियुक्ति के समय और कार्यालय छोड़ने के समय, इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र ख में अपनी व्यावसायिक और वाणिज्यिक वचनबद्धता या सहभागिता की घोषणा भी करेंगे।

21. **आयोग की अन्य शक्तियाँ और कार्य-** अधिनियम की धारा 10 में निर्दिष्ट आयोग की शक्तियों और कार्यों के अतिरिक्त, आयोग निम्नलिखित कार्य करेगा -

(क) देश में परिचर्या शिक्षा की लागत को कम करने के लिए अध्ययन करना;

(ख) अन्य बातों के अतिरिक्त, शिक्षा की लागत को कम करने और इसे अपेक्षाकृत अधिक सुलभ बनाने की दृष्टि से आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने, अवसंरचना के गहन उपयोग, संकाय साझा करने और वैश्विक स्तर पर सर्वोत्तम पद्धतियों का सुझाव देना;

(ग) बोर्डों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने के तौर-तरीकों का निर्धारण करना;

परंतु जहां बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की जाती है, ऐसे बोर्ड का अध्यक्ष, अपील की कार्यवाही में भाग नहीं लेगा।

(घ) नियम बनाते समय, सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन और अन्य हितधारकों, जैसे दंत चिकित्सा पेशेवरों के संघ, रेजिडेंट दंत चिकित्सकों के संघ और रोगी अधिकार निकायों से परामर्श करना;

(ङ) विनियमों के मसौदे का व्यापक प्रचार करने के लिए उसे तीस दिनों की अवधि के लिए आयोग की वेबसाइट पर डालना और आम जनता से प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर विचार करना:

परंतु कि विनियमों के अंतिम मसौदे को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से विधायी विभाग के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाएगा;

(च) आयोग द्वारा लिए गए प्रत्येक प्रमुख निर्णय की एक प्रति अपने सचिव के माध्यम से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को पृष्ठांकित करेगा और इसे आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित करना;

(छ) केंद्रीय सरकार को ऐसी सूचना या रिपोर्ट प्रस्तुत करना जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो।

## 22. भारतीय परिचर्या परिषद के पूर्ववर्ती कर्मचारियों को देय क्षतिपूर्ति—

(1) आयोग धारा 56 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार एक वर्ष की अवधि के अंदर पूर्ववर्ती भारतीय परिचर्या परिषद के नियमित कर्मचारियों की सेवाएं पहले समाप्त करने और देय क्षतिपूर्ति के बारे में निर्णय करेगा।

(2) पूर्ववर्ती भारतीय परिचर्या परिषद का कोई कर्मचारी, जब तक कि वह आयोग में संविदा आधार पर लगातार कार्यरत नहीं है, उसे उसकी सेवा समाप्ति के समय के तीन माह के वेतन के बराबर अग्रिम रकम का भुगतान किया जायेगा, जिसकी कटौती उसके कुल क्षतिपूर्ति पैकेज से कर ली जायेगी।

(3) पूर्ववर्ती भारतीय परिचर्या परिषद का कोई कर्मचारी जो आयोग में संविदा आधार पर लगातार कार्यरत नहीं है, उसे पूर्ववर्ती भारतीय परिचर्या परिषद में नियुक्ति के समय उसकी सेवाओं की शर्तों और निबंधन के आधार पर ऐसे कर्मचारियों को देय पेशान संबंधी लाभ सहित क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जायेगा।

प्ररूप क

[नियम 20 (क) देखें]

आस्तियों और देनदारियों की घोषणा

अचल संपत्ति का विवरण

नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	जिला, उप-संभाग, तालुक एवं गांव या शहर का नाम जिसमें संपत्ति स्थित है (पूरा स्थान और डाक का पता)	संपत्ति, आवास, भूमि और अन्य इमारतों के नाम और विवरण	घर के मामले में भूमि सहित निर्माण/अधिग्रहण की लागत (और वर्ष जब खरीदा गया)	वर्तमान मूल्य *	किस प्रकार अधिग्रहीत किया गया, क्या खरीद, पट्टा **, बंधक, विरासत, उपहार या अन्यथा द्वारा और अधिग्रहण की तारीख और उस व्यक्ति (व्यक्तियों) के नाम और विवरण के साथ जिनसे अधिग्रहीत किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	टिप्पणियां
स्वयं							
पति या पत्नी							
आश्रित							

**घोषणा**

मैं, ..... एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

ऊपर दी गई सूचना में किसी परिवर्तन की स्थिति में, मैं उसे सूचित करने का वचन देता हूँ।

भवदीय,

हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान

तारीख :

प्ररूप ख

[नियम 20 (ख) देखें]

पहली नियुक्ति पर और पद छोड़ने के समय

व्यावसायिक और वाणिज्यिक वचनबद्धता या भागीदारी का विवरण

क्र.सं.	संबंध	नाम	घोषणाओं की तारीख से पिछले तीन वर्षों में धारित व्यावसायिक स्थिति, यदि कोई हो	घोषणाओं की तारीख से पिछले तीन वर्षों में धारित वाणिज्यिक वचनबद्धता / भागीदारी, यदि कोई हो
1	स्वयं			
2	पति या पत्नी			
3	आश्रित-1			
4	आश्रित-2			
5.*	आश्रित-3			

तारीख .....

हस्ताक्षर.....

[फा. सं. जेड.16015/08/2023-एन]

डॉ. विपुल अग्रवाल, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE****NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th March, 2024

**G.S.R. 187(E).**—Whereas, the National Nursing and Midwifery Commission (Manner of Appointment and Nomination of Members, Secretary and Members of Autonomous Boards, their Salary, Allowances and Terms and Conditions of Service, and Declaration of Assets, Professional and Commercial Engagements) Rules, 2023 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), dated the 17th November, 2023 *vide* notification number G.S.R.847 (E), dated the 17th November, 2023 in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 51 of the National Nursing and Midwifery Commission Act, 2023 (26 of 2023),



inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby, within thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Official Gazette were made available to the public on 17th November, 2023;

And whereas, the objections and suggestions received from the public on the said draft rules within the period specified in the said notification have been considered by the Central Government;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by clauses (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (o) and (p) of sub-section (2) of section 51 of the National Nursing and Midwifery Commission Act, 2023 (26 of 2023), the Central Government hereby makes the following rules, namely: –

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the National Nursing and Midwifery Commission Rules, 2024.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.**— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the National Nursing and Midwifery Commission Act, 2023 (26 of 2023);

(b) “Board” means an Autonomous Board constituted under section 11;

(c) “Commission” means the National Nursing and Midwifery Commission constituted under section 3;

(d) “Secretary” means Secretary of the Commission appointed under sub-section (1) of section 8;

(e) “Section” means section of the Act;

(f) “State Commission” means the State Nursing and Midwifery Commission constituted under section 23;

(g) “State” shall include a Union territory Administration;

(h) “zone” means any of the six zones specified in rule 4;

(i) “whole-time Members of Commission” means the Members nominated or appointed under clauses (i), (j), (k) and (l) of section 4.

(2) Words and expressions used herein but not defined and defined in the Act, shall have the meaning assigned to them in the Act.

**3. Qualifications and experience for nursing and midwifery leader.**— The nursing and midwifery leader, defined under clause (q) of section 2, shall possess the following qualifications and experience, namely:—

(a) a post graduate degree in any discipline of nursing and midwifery education from a recognised University;

(b) be registered with the National Register or State Register; and

(c) having experience of not less than fifteen years and holding administrative position for four years in the field of nursing and midwifery from a recognised institution or University or healthcare facility.

**4. Zonal distribution of States and Union territories.**— The following shall be the zonal distribution of the States and Union territories under clauses (h) and (i) of section 4, namely:—

(a) the Northern Zone, consisting of the following four States and four Union territories, namely, Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Rajasthan, National Capital territory of Delhi, Chandigarh, Jammu and Kashmir and Ladakh;

(b) the Central Zone, consisting of the following four States namely, Chhattisgarh, Uttarakhand, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh;

(c) the Eastern Zone, consisting of the following four States, namely, Bihar, Jharkhand, Odisha and West Bengal;

(d) the North-Eastern Zone, consisting of the following eight States, namely, Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Nagaland, Mizoram, Tripura, Meghalaya and Sikkim;

(e) the Western Zone, consisting of the following three States and one Union territory, namely, Goa, Gujarat, Maharashtra, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu;

(f) the Southern Zone, consisting of the following five States and three Union territories, namely, Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Puducherry, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

**5. Manner of nomination of Members under clause (g) of section 4.**— (1) The Central Government shall nominate three Members, not below the rank of Chief Nursing Officer or Nursing Superintendent of any of the hospitals or Dean or Principal of College of Nursing, as the case may be, from Central Government hospitals or Nursing and Midwifery Institutions of repute, for a term of two years.

(2) In the event of occurrence of vacancy, including by reason of death, resignation or removal, as the case may be, of a Member under this rule, the Central Government shall nominate another person as Member at the earliest and within three months from the date of occurrence of such vacancy and the person so nominated shall remain a member for a full term of two years.

**6. Manner of nomination of Members under clause (h) of section 4.**— (1) The Central Government shall nominate six Chairpersons of the State Commissions, one from each of the six zones, on rotational basis after every two years, by draw of lots on such date as may be decided by the Central Government.

(2) There shall be six draw boxes representing six zones out of which a single slip shall be picked from each of the six draw boxes.

(3) The draw of lots at every subsequent two-year interval, shall be restricted to those States or Union territories not represented as Members in the immediately preceding term.

(4) The draw of lots shall be conducted with paper slips of uniform size, colour and design bearing individual names of each State and Union territories, which shall be folded in such manner so as to preserve the confidentiality.

(5) The draw of lots shall be conducted in the presence of the Union Health Secretary.

(6) In case of vacancy in the office of a Chairperson of the State Commission, the State Government shall nominate any other Member from the State Commission as a member under this rule until a person is nominated to the post of Chairperson of the State Commission and the person so nominated as Chairperson of the State Commission shall become the member of the Commission only for the remaining term of two years.

(7) The draw of lots for members under this rule shall be held first, followed by the draw of lots under rule 7.

**7. Manner of nomination of Members under clause (i) of section 4.**— (1) Six Members shall be nominated to the Commission under clause (i) of section 4, from each of the six zones, from amongst nursing members of eminence, from nursing and midwifery profession of outstanding ability, proven administrative capacity and integrity, possessing a postgraduate degree in any discipline of nursing and midwifery from any University and having experience of not less than fifteen years in the field of nursing and midwifery, out of which at least seven years shall be as a nursing and midwifery leader.

(2) A single nomination shall be made, from each of the six zones, on rotation basis after every two years, by draw of lots, on such date as may be decided by the Central Government.

(3) There shall be six draw boxes representing six zones out of which a single slip shall be picked from each of the six draw boxes.

(4) The first draw of lots for nomination of Members under this rule shall be restricted to those States and Union territories not represented under rule 6 and the draw of lots at every subsequent two year interval, shall be restricted to those States or Union territories not represented as Members in the immediately preceding term.

(5) The draw of lots shall be conducted with paper slips of uniform size, colour and design bearing individual names of each State and Union territories, which shall be folded in such manner so as to preserve the confidentiality.

(6) The draw of lots shall be conducted in the presence of the Union Health Secretary.

(7) In the event of occurrence of vacancy of a Member, including by reason of death, resignation or removal, the State Government shall nominate another person in his place at the earliest and within three months and the person so nominated shall remain a Member in the Commission only for the remaining term of two years.

(8) The State Government shall, before recommending any person for appointment as a Member under this rule, satisfy itself that such person does not have any financial or other interest which is likely to affect prejudicially his functions as a Member of the Commission.

(9) The Central Government shall, within three months before the end of tenure of the Member, write to the States and Union territories, to initiate the process of filling up of the vacancy.

**8. Manner of appointment of Members under clauses (j), (k) and (l) of section 4.**—

(1) The Central Government shall, on the recommendations of the Search-cum-Selection Committee, appoint,—

(a) four Members under clause (j) of section 4, from amongst nursing and midwifery members of eminence, of which at least two shall be midwifery professionals, of outstanding ability, proven administrative capacity and integrity, possessing a postgraduate degree in any discipline of nursing and midwifery from any University and

having experience of not less than fifteen years in the field of nursing and midwifery, out of which at least seven years shall be as a nursing and midwifery leader;

(b) one Member under clause (k) of section 4, from amongst the charitable institutions which have been in operation for not less than fifteen years providing healthcare service and education, possessing the following qualifications and experience, namely:—

(i) possessing a post graduate degree in any discipline of nursing and midwifery from any University;

(ii) having not less than fifteen years experience in the field of nursing and midwifery, out of which at least four years shall be as a nursing and midwifery leader;

(c) one Member under clause (l) of section 4, who shall be a person of eminence, from amongst persons of ability, integrity and standing, who have special knowledge and professional experience in such areas including in management, law, medical ethics, health research, consumer or patient rights advocacy, science and technology and economics.

(2) The Members appointed under sub-rule (1) shall hold office for a term of four years.

(3) In the event of occurrence of vacancy of a Member under this rule, including by reason of death, resignation or removal, as the case may be, the Central Government shall appoint another person as Member at the earliest and within three months from the date of occurrence of such vacancy and the person so appointed shall remain a member for a full term of four years.

**9. Manner of nomination of Members of Search-cum-Selection Committee under clauses (b) and (c) of sub-section (1) of section 5.**—The Central Government shall appoint four experts under clause (b) and one expert under clause (c), of sub-section (1) of section 5, as Members of the Search-cum-Selection Committee, for a term of two years.

(2) In the event of occurrence of vacancy, including by reason of death, resignation or removal, as the case may be, of a Member under this rule, the Central Government shall nominate another person as member to the Search-cum-Selection Committee at the earliest and within three months from the date of occurrence of such vacancy and the person so nominated shall remain a Member in the Search-cum-Selection Committee only for the remaining term of office of two years.

**10. Salaries and allowances payable to Chairperson and whole-time Members of Commission.**—(1) The salary payable to the Chairperson shall be equivalent the salary admissible to an Additional Secretary to the Government of India.

(2) The salary payable to the whole-time Members of the Commission shall be equivalent to the salary admissible to an officer of the level of Joint Secretary to the Government of India.

(3) Where the Chairperson or a whole-time Member of the Commission is a retired person from the Government, semi-Government agency, public sector undertaking or recognised research institution, the salary payable together with the pension or pensionary value of the terminal benefits, or both, received by such Chairperson or whole-time Member shall not exceed the last pay drawn.

(4) Where the Chairperson or a whole-time Member of the Commission is in the service of the Central Government or a State Government or a Union territory Administration, his salary and allowances shall be regulated in accordance with the rules applicable to such Chairperson or whole-time Member in his parent cadre or department, or as per this rule, whichever is higher, and his appointment in the Commission shall be treated as being on deputation.

(5) The Chairperson and whole-time Members of the Commission shall also be entitled to dearness allowance, travelling allowances and daily allowances appropriate to their pay at the rates admissible to officers of equivalent level in the Central Government.

**11. Secretary of Commission.**— (1) The Central Government shall appoint a Secretary to the Commission who shall be a person of outstanding ability, proven administrative capacity and integrity and possessing the following qualifications and experience, namely:—

(i) a postgraduate degree in any discipline related to Nursing from any University or Institute; and

(ii) holding analogous post on regular basis in the present cadre or department; or

(iii) with minimum three years' regular service in level 13 in the pay matrix or equivalent thereto; or

(iv) with minimum seven years' regular service in level 12 in the pay matrix or equivalent thereto or above; and

(v) having experience in the Central Government or a State Government or any statutory body or recognised organisation or institution of not less than fifteen years in his related service or profession along with administrative experience of not less than seven years;

- (2) The salary payable to the Secretary shall be equivalent to the salary of Joint Secretary to the Government of India.
- (3) The Secretary shall be entitled for dearness allowance, travelling allowances and daily allowances appropriate to his pay at the rates admissible to Joint Secretary to the Government of India.
- (4) A person who has completed the age of fifty-five years on the date of application shall not be eligible for the post of Secretary.
- (5) The Secretary shall hold office for a term of four years or till he attain the age of sixty years, whichever is earlier.

**12. Manner of appointment of second part-time Member of Board.**— (1) The Central Government shall appoint a second part-time Member for each of the Boards under sub-section (6) of section 12 by draw of lots from amongst the Members nominated under clause (h) of section 4 of the Act who have given their consent to serve as second part-time Member of Board and the name of any unwilling Member shall not be included in the draw box.

- (2) Three slips shall be picked from out of the six slips in the draw box containing the names of the six Members referred to in sub-rule (1).
- (3) The name appearing in the first slip shall be the second part-time Member of the Nursing and Midwifery Assessment and Rating Board, the name appearing in the second slip shall be the second part-time Member of the Nursing and Midwifery Ethics and Registration Board and the name appearing in the third slip shall be second part-time Member of the Nursing and Midwifery Undergraduate and Postgraduate Board.
- (4) The draw of lots shall be conducted in the presence of the Union Health Secretary.
- (5) The tenure of the Members shall be co-terminus with their membership of the Commission under clause (h) of section 4.
- (6) In the event of occurrence of vacancy of a Member at any time, the Central Government shall appoint another part-time Member in the manner provided in this rule.

**13. Salaries and allowances payable to President and whole-time Members of Boards.**— (1) The salary payable to the President and whole-time Members of Boards shall be equivalent to the salary admissible to a Joint Secretary to the Government of India.

Provided that where the President or a whole-time Member of a Board, is a retired person from the Government, semi-Government agency, public sector undertaking or recognised research institution, the salary payable together with the pension or pensionary value of the terminal benefits, or both, received by such President or whole-time Member shall not exceed the last pay drawn.

- (2) Where the President or a whole-time Member is in the service of the Central Government or a State Government or a Union territory Administration, his salary and allowances shall be regulated in accordance with the rules applicable to such President or a whole-time Member in his parent cadre or department, or as per sub-rule (1), whichever is higher, and his appointment in the Commission shall be treated as being on deputation.
- (3) The President and whole-time Member of a Board shall be entitled for dearness allowance, travelling allowances and daily allowances appropriate to their pay at the rates admissible to officers of equivalent level in the Central Government.

**14. Sitting fee.**—The ex-officio and part-time Members of the Commission and part-time Members of each Board, shall be entitled to a sitting fee of five thousand rupees for each day of sitting of the Commission or the Board as the case may be.

**15. Leave.**— The Chairperson, whole-time Members, Secretary and the President and whole-time Members of Board shall be entitled to—

- (a) earned leave, half pay leave and commuted leave as admissible to Central Government servants in accordance with the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, as amended from time to time; and
- (b) extraordinary leave as admissible to the temporary Central Government servants under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, as amended from time to time.

**16. Leave sanctioning authority.**— (1) The Central Government shall be the authority competent to sanction leave to the Chairperson of the Commission.

- (1) The Chairperson of the Commission shall be the authority competent to sanction leave to,—
- (a) whole-time Members of the Commission and the Secretary of the Commission; and
- (b) President of a Board.
- (2) The President of a Board shall be the authority to sanction leave to a whole-time Member of that Board.

**17. Contributory Provident Fund.**— The Chairperson, whole-time Members of Commission, Secretary and the President and whole-time Members of Board, —

(a) shall be governed by the provisions of the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962 and there shall be no option to subscribe under the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960;

(b) shall not be entitled to additional pension and gratuity for the service rendered by them in the Board

**18. Travelling allowances to other Members.**— Every other Member of the Commission other than the Members referred to in rule 10 and rule 13, including part-time Members of Boards, shall be entitled to draw travelling allowances and daily allowances at the rates admissible to an officer of the level of Joint secretary to the Government of India.

**19. Application of Central Civil Services Rules.**— The Chairperson, whole-time Members of the Commission, Secretary and President and whole-time Members of Boards shall be governed by the provisions of the Central Civil Service (Conduct) Rules during their tenure.

**20. Declaration of assets, professional and commercial engagement or involvement.**— The Chairperson, whole-time Members of the Commission, Secretary and President and Members of Boards shall—

(a) file a return of their assets and liabilities in **Form A** annexed to these rules.

(b) declare their professional and commercial engagement or involvement at the time of appointment as such Chairperson or Secretary or Member, and at the time of demitting office, in **Form B** annexed to these rules.

**21. The other powers and functions of Commission.**— In addition to the powers and functions of the Commission specified in section 10 of the Act, the Commission shall—

(a) undertake study to reduce the cost of nursing education in the country;

(b) suggest, among others, adoption of modern technology, intensive use of infrastructure, faculty sharing, and global best practices with a view to reduce the cost of education and make it more accessible;

(c) decide the manner of hearing appeals against the decisions of Boards:

Provided that where an appeal is filed against the decision of a Board, the President of such Board shall not participate in the appeal proceedings;

(d) while making regulations, consult all State Governments, Union territory Administrations and other stakeholders, such as, association of dental professionals, association of resident dentists and patient rights bodies;

(e) give wide publicity to the draft regulations by placing it on the website of the Commission for a period of thirty days and considering the objections or suggestions as may be received from the general public:

Provided that the final draft of the regulations shall be finalised in consultation with the Legislative Department through the Ministry of Health and Family Welfare;

(f) endorse a copy of each major decision taken by the Commission to the Ministry of Health and Family Welfare through its Secretary and publish it on the website of the Commission;

(g) furnish such information or report to the Central Government as may be required by the Central Government from time to time

**22. Compensation payable to erstwhile employees of Indian Nursing Council.**— (1) The Commission shall decide on the premature termination and compensation payable to the regular employees of the erstwhile Indian Nursing Council within a period of one year as provided in sub-section (5) of Section 56.

(2) An employee of the erstwhile Indian Nursing Council, unless **continued** with the Commission on contract basis, shall be paid an advance amount equivalent to three months' salary at the time of termination of his service which shall be deducted from the total compensation package.

(3) An employee of the erstwhile Indian Nursing Council who is not **continued** with the Commission, shall be paid compensation package including pensionary benefits applicable to such employee as per the terms and conditions of his service at the time of his appointment in the erstwhile Indian Nursing Council.

**Form A**

[See rule 20(a)]

**DECLARATION OF ASSETS AND LIABILITIES**

## Details of immovable property

Name (in block letters)	Name of District, Sub- Division, Taluk & Village or City in which property is situated (full location & postal address)	Name and Details of Property, Housing, Lands and Other Buildings	Cost of construction/Ac quirement (and year when purchased) including of land in case of house	Present Value *	How acquired, whether by purchase, lease **, mortgage, inheritance, gift or otherwise with date of acquisition & name with details of person(s) from whom acquired	Annual Income from Property	Remarks
Self							
Spouse							
Dependent							

**DECLARATION**

I, .....hereby declare that the information given above is true and correct to the best of my knowledge and belief.

In the event of any change in the information given above, I undertake to intimate the same.

Yours faithfully,

Signature/thumb impression

Date:

**Form B**

[See rule 20 (b) ]

Statement of professional and commercial engagements or involvement  
on first appointment and at the time of demitting office

Sl.No	Relation	Name	Professional position held in last three years from the date of declarations, if any	Commercial engagements involvement held in last three years from the date of declarations, if any
1	Self			
2	Spouse			
3	Dependent-1			
4	Dependent-2			
5.*	Dependent-3			

Date.....

Signature.....

[F. No. Z.16015/08/2023-N]

Dr. VIPUL AGGARWAL, Jt. Secy.